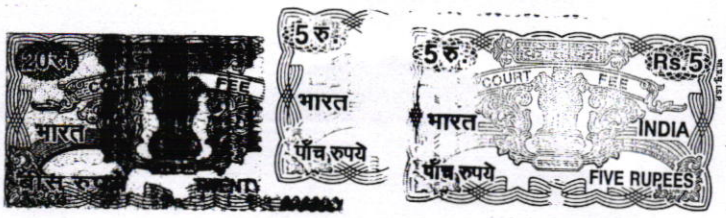

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैंप उज्जैन

प्र.क्र. /2017 पुनर्विलोकन- 6184/2018 उज्जैन/भू.रा.

1. मोहम्मद रफीक पिता बाबू खां, उम्र 47 वर्ष जाति मुसलमान, व्यवसाय खेती,
2. मोहम्मद हनीफ पिता बाबू खां, उम्र 62 वर्ष जाति मुसलमान, व्यवसाय कुछ नहीं
3. मेहरूनिशा विधवा बाबू खां, उम्र 62 वर्ष जाति मुसलमान, व्यवसाय गृहकार्य
   निवासीगण ग्राम सादबा तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र.
4. शहनाज बी पति शरीफ खां पुत्री बाबू खां उम्र 54 वर्ष जाति मुसलमान, व्यवसाय गृहणी निवासी ग्राम केसवाल तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र.
5. रूकसाना बी पति जाहिद बेग पुत्री बाबू खां आयु 43 वर्ष, जाति मुसलमान, व्यवसाय गृहणी निवासी शाजापुर म.प्र.
6. शहनाज बी पति मन्नात खां पुत्री बाबू खां, आयु 53 वर्ष, जाति मुसलमान, व्यवसाय गृहणी निवासी ग्राम केसवाल तह.तराना जिला उज्जैन
7. शबाना बी पति शकील खां पुत्री बाबू खां आयु 36 वर्ष, जाति मुसलमान, व्यवसाय गृहणी निवासी देपालपुर जिला इंदौर म.प्र.

— आवेदकगण

विरूद्ध

1. शेख नियाज मोहम्मद पिता नवाब खां, उम्र 72 वर्ष, जाति मुसलमान, व्यवसाय पेंशनर
2. शेख निसार पिता नवाब खां, उम्र 47 वर्ष जाति मुसलमान व्यवसाय कुछ नहीं,
   निवासीगण 111ए, विवेकानंद कालोनी, फ्रीगंज उज्जैन म.प्र.

...2

3. शेख रईस पिता नवाब खां, आयु 51 वर्ष
जाति मुसलमान व्यवसाय शास. शिक्षक
निवासी आदर्शनगर कालोनी उज्जैन म.प्र.
4. बिस्मिला बी पति अब्दुल हमीद पुत्री नवाब खां
जाति मुसलमान, व्यवसाय पेंशनर, निवासी
43/1, ग्रीनपार्क कालोनी उज्जैन म.प्र.
5. बिस्मिला बी पति अब्दुल हमीद पिता नवाब खां,
आयु 50 वर्ष, जाति मुसलमान, व्यवसाय केसवाल,
निवासी तहसील तराना जिला उज्जैन म.प्र.

—— अनावेदकगण

रिव्यू आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

प्रार्थी/अनावेदकगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है –

1. यह कि, अनावेदकगण की ओर से माननीय न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक निगरानी 5901/18 में आदेश दिनांक 4–10–18 का पुर्नविलोकन किये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

2. यह कि, उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा दिनांक 4–10–18 को जो आदेश दिया है वह रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में "अपर आयुक्त महोदय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है जबकि अपर आयुक्त महोदय ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त नहीं किया है बल्कि अपर आयुक्त महोदय ने अपने आदेश दिनांक 17–9–2018 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तराना के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 5–9–18 को स्थगित किया है।" इसलिये भी माननीय न्यायालय को उक्त आदेश पर विचार किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि, विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है इस प्रकरण के आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 तराना के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जो निरस्त किया गया तथा प्रार्थीगण (केविएट

~~XXXIX~~(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक – रिव्यू 6184 /2018/उज्जैन/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखलाक कुरेशी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 4–10–18 उन्हें बिना सुने पारित किया गया है जबकि उन्होंने कैवियट प्रस्तुत की थी । अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन दिया था । यह भी बताया गया कि राजस्व मंडल के आलोच्य आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अभी तक स्थगन के बिंदु पर पुनः सुनवाई नहीं की गई है तथा उनके न्यायालय में पेशी दिनांक 29–10–18 नियत है । यह भी कहा गया कि राजस्व मंडल के आदेश की आड़ में तहसीलदार, तराना द्वारा आवेदक को नये सिरे से नोटिस जारी किया गया है जबकि उन्होंने अपना रिकार्ड अपर आयुक्त के न्यायालय में भेज दिया है । अंत में उनके द्वारा रिव्यू आवेदन ग्राह्य कर स्थगन दिये जाने का अनुरोध किया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस रिव्यू प्रकरण को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस न्यायालय अपर आयुक्त को स्थगन के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेने तथा प्रकरण का निराकरण 2 माह में करने के निर्देश दिए हैं । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी स्थगन के बिंदु पर कोई निर्णय नहीं लिया है तथा उनके समक्ष लंबित प्रकरण में दिनांक 29–10–18 नियत है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि अपर आयुक्त उक्त दिनांक को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लें तब तक तहसीलदार, तराना यथास्थिति बनाये रखें । उक्त निर्देश के साथ यह पुनरावलोकन आवेदन समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	